OVS

आचार संहिता
2021

परिचय

प्राकृतिक और सामाजिक प्रणालियों के साथ सामंजस्य के साथ फलने-फूलने को संभव बनाने वाले उत्पादक मॉडलों का सृजन प्रत्येक आर्थिक परिचालक द्वारा साझा किया जाने वाला उद्देश्य है। समय बीतने के साथ, लंबी समयावधि में फलने-फूलने के समर्थ होना भी एक मूलभूत शर्त बन गया है।

यही वजह है कि OVS कारखाने की कार्य दशाओं में सुधार और उत्पादन स्थलों के आर्थिक विकास में योगदान देते हुए पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए व्यवसाय के प्रभावी समर्थन के साझा उद्देश्यों पर आधारित आपूर्ति के संबंध स्थापित करने का इरादा रखता है।

इस आचार संहिता का लक्ष्य पारदर्शिता के साथ-साथ पर्यावरणीय और सामाजिक संपोषणीयता के संबंध में आपूर्तिकताओं की पद्धतियों के निरंतर सुधार का प्रयास करते हुए उनकी कुछ खास बाध्यकारी अपेक्षाओं की व्याख्या करना है।

संपोषणीय पद्धतियों को अंगीकार करने से हमारे मूल्यों को साझा करने वाले और हमारे साथ निरंतर विकास करने की इच्छा रखने वाले सभी साझेदारों के बीच अधिकतम विश्वास के साथ उचित, सहयोगात्मक संबंध बनाने में सहायता मिलती है।

निगमित मिशन के मूल में विद्यमान संपोषणीयता के सिद्धांत इस दस्तावेज में परिचालनात्मक रूप से स्पष्ट किए गए है जिसमें मुख्य रूप से आपूर्ति शृंखला के भीतर इसके प्रसार और साझा करने को बढ़ावा दिया गया है।
हमने तीन मूलभूत क्षेत्रों के संबंध में मानक आचरण की पहचान की है।

- कर्मचारी
- पर्यावरण
- अनुपालन और पारदर्शिता

ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मानकों, विभिन्न राष्ट्रीय विनियमों, बाल अधिकारों संबंधी UN कन्वेंशन, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ILO कन्वेंशन और उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

इस संहिता में शामिल सभी सिद्धांतों का सम्मान OVS के साथ कोई व्यावसायिक संबंध और साझेदारी स्थापित करने और सुदृढ़ करने की मौलिक शर्त हैं।

संहिता में वर्णित सिद्धांतों के संबंध में, प्रत्येक आपूर्तिकार्ता को इस संहिता में वर्णित मानदण्ड पर खरा उतरने वाले या इससे बढ़कर होने वाले मानदण्ड के अनुसार अपने उप-ठेकेदारों और उप-आपूर्तिकर्ताओं के व्यवहार के लिए गारंटीकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए।

यदि OVS की आपूर्ति शृंखला का कोई परिचालक उपर्युक्त का पालन करते हुए प्रचालन नहीं करता है, तो OVS मुख्यत: कामगारों (विशेष रूप से छोटे बच्चे) के हित और उनके जीवन-यापन की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति पर विचार करते हुए सुधारात्मक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

सार

परिचय 2

कर्मचारी 4

1. कर्मचारियों के साथ संबंध 4
2. बाल श्रमिक और युवा कामगार 4
3. बलात श्रम, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार 5
4. भेदभाव 6
5. एसोसिएशन की स्वतंत्रता 6
6. पारिश्रमिक और कार्य के घंटे 6
7. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 7
8. समुदाय 9

पर्यावरण 10

9. पर्यावरणीय प्रभाव 10
10. रसायन और खतरनाक पदार्थ 10
11. अपशिष्ट प्रबंधन 11
12. जल प्रबंधन 11
13. वातावरण में उत्सर्जन 11
14. राज्य क्षेत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव 12
15. अधिक संपोषणीय सामग्रियाँ 12

अनुपालन और पारदर्शिता 13

16. अनुपालन 13
17. भ्रष्टाचार 13
18. पारदर्शिता और सहयोग 13
19. लेखा-परीक्षाएं 14
20. संहिता का अनुप्रयोग 14

कर्मचारी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विविधता, सभी व्यक्तियों का सम्मान और सहिष्णुता हमारे लिए मूलभूत बातें हैं: हम दैनिक आधार पर इन्हें सुनिश्चित करते हैं और बढ़ावा देते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, आरामदायक और सहयोगात्मक कार्य वातावरण के माध्यम से अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए।
हम प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेशेवर और वैयक्तिक, दोनों स्तर पर निजी विकास को जरूरी मानते हैं।
हम लोगों के महत्त्व को पहचानते हैं, और प्रत्येक को समान अवसर की पेशकश करते हैं। OVS किसी भी प्रकार के भेदभाव या दमन की निंदा करता है।

1. कर्मचारियों के साथ संबंध

1.1. OVS की आचार संहिता अवश्य प्रकाशित की जानी चाहिए और सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ कराई जानी चाहिए, तथा कामगारों को समझ आने वाली भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1.2. यह सुनिश्चित करना नियोक्ता (employer) का दायित्व है कि सभी कामगारों को अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो। श्रमिकों को विनियमित करने वाले स्थानीय कानून (जैसे न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घंटे और समयोपरि काम की सीमाओं संबंधी विनियम) सभी कामगारों को अवश्य आसानी से सुलभ होने चाहिए।

1.3. सभी कामगारों को अवश्य रोजगार के नियमों और शर्तों को स्थापित करने वाले रोजगार के ऐसे लिखित ठेके के अंतर्गत नियोजित किया जाना चाहिए जो स्थानीय भाषा में बनाया जाना चाहिए और उस पर कामगार के हस्ताक्षर होने चाहिए।

1.4. पेशेवर कौशलों के विकास हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कानून की अपेक्षा से इतर कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं के माध्यम से कर्मचारियों के काम के मानक को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए कर्मचारियों में बढ़ोतरी करने का दायित्व आपूर्तिकर्ताओं पर है।

1.5. कोई भी कामगारकाम के अपने अधिकार के लिए पैसा नहीं देगा; कर्मचारी को काम करने के लिए किसी भी तरह से कोई भर्ती शुल्क नहीं देना होगा, और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की प्रतिपूर्ति करने के लिए नियोक्ता बाध्य है। कामगारों को काम करने के लिए नियोक्ता या एजेंसी को धन या पहचान पत्र जमा नहीं करवाना होगा। उचित नोटिस देने के बाद हर कर्मचारी को अपने पद से इस्तीफा देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

1.6. वैध निवास परमिट या अनुमति के माध्यम से देश में काम करने के क़ानूनी अधिकार का पहले से ही सत्यापन किए बिना विदेशी/प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखना सख्त रूप से वर्जित है।

2. बाल श्रमिक और युवा कामगार[1]

2.1. OVS आपूर्तिकर्ता केवल उन कामगारों को नियोजित कर सकते हैं जो ILO के कन्वेंशन सं. 138 और 142 के अनुसार स्थानीय कानून के अनुसरण में रोजगार में आने की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो।

2.2. वैध न्यूनतम आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच के सभी युवा कामगारों को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए; उन्हें खतरनाक कार्यों, समयोपरि अवधि, या रात की पालियों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। कार्य की गतिविधियों से न तो उनकी शिक्षा या स्वास्थ्य और न ही उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास में बाधा नहीं पड़नी चाहिए।

2.3. युवा कामगार अलग वर्दी, बिल्ले या कंपनी की साइट पर उनकी आसानी से पहचान कराने के लिए उपयुक्त माने गए किसी अन्य उपाय द्वारा आसानी से पहचान-योग्य होने चाहिए।

3. बलात श्रम, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार[2]

3.1. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के बलात श्रम का उपयोग कतई नहीं करना चाहिए। इनके बीच, धमकाकर काम, सहमति न देने वाले कैदियों के उपयोग, ऋणों का भुगतान करने के लिए तथाकथित सुमंगली स्कीम और बंधुआ श्रमिकों का उपयोग विशेषतया मना है।

3.2. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को कामगारों के साथ अवश्य सम्मान और गरिमा का व्यवहार करना चाहिए, तथा सभी प्रकार के शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक और गाली-गलौच की मनाही करनी चाहिए।

3.3. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षा स्टाफ द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की अस्वीकार्यता तथा कर्मचारियों द्वारा किन्हीं घटनाओं की रिपोर्ट करने की प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट नीतियाँ अवश्य रखनी चाहिए।

3.4. कामगारों पर अनुचित जुर्माने कतई नहीं लगाए जाने चाहिए अथवा ऐसे अनुशासनिक उपायों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए जिससे व्यक्ति के तौर पर उनकी गरिमा को क्षति पहुँचती हो।

---

[1] बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन बालक को "*18* वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति, जब तक कि वयस्कता की आयु बालक के लिए स्वीकार्य कानून के अंतर्गत, युवावस्था तक न पहुँच जाए" के रूप में परिभाषित किया गया है।, *ILO* कन्वेंशन संख्या *138* और *142.*

[2] *ILO* कन्वेंशन संख्याएं *29, 105,* और *182.*

3.5. रोजगार के संबंध के प्रबंधन से संबंधित कानून द्वारा व्यवस्थित कार्यप्रक्रियाओं की अपेक्षा के सिवाय, कर्मचारियों को किसी दबाव में आए बिना काम के स्थान और/या कंपनी को छोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

3.6. नियोक्ता कामगारों की पहचान के दस्तावेजों को नहीं रख सकते हैं।

3.7. OVS के आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रयुक्त किसी तीसरे पक्षकार के उप-ठेकेदारों या संस्थाओं पर निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए रखें कि उनके द्वारा भर्ती किए गए व्यक्ति बल, कपट, धमकी, दबाव या ब्लैकमेल किए जाने के द्वारा काम करने के लिए विवश न हों।

4. भेदभाव[3]

4.1. कर्मचारियों के कार्य के निष्पादन में या भर्ती की प्रक्रिया, पारिश्रमिक, नियत कार्यों के आबंटन, करियर की उन्नति, प्रशिक्षण तक पहुँच और बर्खास्तगी में लिंग, प्रजाति, अपंगता, बीमारी, यौन रुचि, राजनीतिक संबद्धता या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं है।

4.2. रोजगार के सभी निर्णय रोजगार के समान अवसरों के आधार पर लिए जाने होते हैं, तथा इनमें प्रवासी, अस्थायी या मौसमी कामगारों की किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा के प्रभावी उपकरण अवश्य शामिल किए जाने चाहिए।

4.3. विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में, किसी संभावित गर्भावस्था (जैसे गर्भावस्था की जाँच का अनुरोध और/या नियुक्ति के दौरान और/या रोजगार के संबंध के दौरान मनोवैज्ञानिक दबाव) से संबंधित भेदभाव की मनाही है।

5. एसोसिएशन की स्वतंत्रता[4]

5.1. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को अपने कामगारों को अपनी पसंद के किसी भी मजदूर संघ या एसोसिएशन में शामिल होने, तथा अपने प्रचालन वाले देश में कानूनी मान्यता प्राप्त स्वरूपों में सामूहिक सौदेबाजी के करारों में भाग लेने के अधिकार की गारंटी अवश्य देनी चाहिए।

5.2. ऐसी स्थिति में कि जब एसोसिएशन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी कानून द्वारा विनियमित न हो, तब आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों के लिए एक समान स्वरूप की स्वतंत्र एसोसिएशन के संबंध में सुविधा प्रदान करेगा।

---

[3] *ILO* कन्वेंशन संख्या *100* और *111.*

[4] *ILO* कन्वेंशन संख्याएं *87, 98* और *135*

6. पारिश्रमिक और कार्य के घंटे[5]

6.1. सभी कामगारों के वेतन कम-से-कम राष्ट्रीय कानून अथवा सामूहिक सौदेबाजी के किसी करार, यदि करार कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से अधिक है, द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के बराबर अवश्य होने चाहिए।

6.2. पैराग्राफ के प्रावधानों के होते हुए भी6.1, जहाँ ऐसा विश्वसनीय स्रोत हो जो OVS के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रचालन करने वाले देशों के लिए उचित मजदूरी (जीवनयापन की लागत पर विचार करते हुए) के स्तर को परिभाषित करता है, वहाँ कामगारों की मजदूरी कम-से-कम उक्त स्तर के अनुरूप अवश्य होनी चाहिए। नियोक्ता को एक वेतन संरचना भी लागू करनी होगी, जहां समान स्तर पर कौशल और कर्तव्यों के चलते, लिंग के हवाले से वेतन में कोई भेदभाव न हो।

6.3. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को कामगारों को साधारण और समयोपरि मजदूरी के माध्यम से उचित वेतन अवश्य देना चाहिए, जिसका भुगतान स्थानीय कानूनों और किसी मौजूद सामूहिक करार के अनुसार समयबद्ध रूप में किया जाना चाहिए। सभी कामगारों को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भुगतान चेक अवश्य मिलना चाहिए।

6.4. कार्य के घंटे लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार 48 घंटों के सामान्य कार्य समय और 12 घंटे के समयोपरि (ओवरटाइम) से अधिक किए जाने की अनुमति नहीं है।

6.5. समयोपरि घंटों की व्यवस्था अवश्य रूप से सहमति के साथ ही की जानी चाहिए तथा इस का भुगतान साधारण वेतन से न्यूनतम 125% अधिक की अधिमूल्य या प्रीमियम दर पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक सात दिन के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम 24 घंटे के लगातार विश्राम का अधिकार है।

6.6. OVS सप्लायरों को अपने कर्मचारियों को, कानून द्वारा स्थापित स्थानीय सार्वजनिक छुट्टियों, वार्षिक वैतनिक अवकाश और, आवश्यकता पड़ने पर, बीमारी की छुट्टी और पैरेन्टल अवकाश लेने के अधिकार की गारंटी देनी होगी। पैरेन्टल अवकाश लेने वाले कार्यकर्ताओं को अवकाश लेने से पहले उन्हीं स्थिति और लाभों के साथ अपने पद पर लौटने के अधिकार की गारंटी होना चाहिए।

7. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा[6]

7.1. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित सभी स्थानीय कानूनों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए।

---

[5] *ILO* कन्वेंशन संख्याएं *1, 26* और *131.* मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद *23(3)*। *"*काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं और अपने परिवार के लिए मानवीय गरिमापूर्ण तथा यदि आवश्यक हो, तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य साधनों द्वारा संपूरित अस्तित्व सुनिश्चित करते हुए उचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार प्राप्त है।*"*

[6] *ILO* का कन्वेंशन *155, OHSAS 18001*

7.2. सभी कामगारों को कार्य का सुरक्षित और स्वस्थ स्थल अवश्य मिलना चाहिए; वातावरण का तापमान और वायु-निकासी वर्ष के सभी मौसमों में अवश्य पर्याप्त होने चाहिए; कार्य के सभी घंटों के दौरान की जाने वाली गतिविधि के संबंध में प्रकाश की व्यवस्था अवश्य उपयुक्त होनी चाहिए; सफाई प्रबंध की सेवाएं स्वच्छ और मौजूद कामगारों के लिए पर्याप्त संख्या में तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग होनी चाहिए। कामगार अनुचित प्रतिबंधों के बिना उपर्युक्त तक पहुँच बनाने में अवश्य समर्थ होने चाहिए।

7.3. यदि कंपनी कर्मचारियों को आवास की पेशकश करती है, तो उक्त आवास के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सभी स्थानीय कानूनों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। कामगार अपने स्वयं के बिस्तर का उपयोग करने तथा सामान्य उपयोग हेतु रहन-सहन का पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में अवश्य समर्थ होने चाहिए। गैर-कार्यशील घंटों के दौरान शयनागार के बाहर जाने की आवश्यकता के बिना पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-से स्वच्छ कमरे और सेवाएं अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोई भी जलपान-गृह या कैंटीनें अवश्य साफ-सुथरी और आरामदायक होनी चाहिए। कर्मचारियों को स्वास्थ्य की निर्धारित की गई सभी अपेक्षाओं पर खरा अवश्य उतरना चाहिए।

7.4. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को भवनों की सुरक्षा, उपकरण के उपयोग तथा सामान्यत: कार्य की गतिविधियों से संबंधित जोखिमों की पहचान और विश्लेषण की कार्यप्रक्रियाएं अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। विशिष्ट आपातकालीन योजनाओं के साथ-साथ हस्तक्षेप और निकासी की कार्यप्रक्रियाएं जोखिमों के विश्लेषण के आधार पर अवश्य स्पष्ट की जानी चाहिए।

7.5. हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त स्पष्ट रूप से इंगित और प्रकाश-व्यवस्था वाले आपातकालीन निकासी द्वार अवश्य मौजूद होने चाहिए।

7.6. सभी कामगारों को अपने संबंधित कारखानों में स्थल पर मौजूद सुरक्षा उपकरणों के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। निकासी के नियमित अभ्यास नियमित आधार पर अवश्य किए जाने चाहिए, जो पूर्व-निर्धारित सारणी के अनुसार पूरे किए जाएं, जिनका कार्य किसी भी समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7.7. स्वास्थ्य और सुरक्षा की अपेक्षाएं किसी ऐसे वरिष्ठ प्रबंधक से की जानी चाहिए जो कार्य का सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है और कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है।

7.8. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को न तो जोखिमपूर्ण भवनों में प्रचालन करना चाहिए और न ही गैर-अनुपालक मशीनरी पर प्रचालन करना चाहिए। संभावित खतरा पेश करने वाले उपकरण का उपयोग करने वाले कामगारों को उपयुक्त प्रशिक्षण अवश्य मिलना चाहिए।

7.9. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय कानूनों और उद्योग के मानकों की अपेक्षा के अनुसार, कामगारों के लिए मुफ्त में निजी रक्षा के उपयुक्त उपकरण अवश्य उपलब्ध कराने चाहिए। सभी कामगारों को कार्य के समय के दौरान अनिवार्य रूप से रक्षात्मक उपकरण का उपयोग अवश्य करना चाहिए।

7.10. प्रत्येक कारखाना प्राथमिक उपचार के उपकरणों से अवश्य लैस होना चाहिए तथा लोग आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार के उपाय प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए।

7.11. उन देशों में जहाँ कार्यस्थल में दुर्घटनाओं से कामगारों की सुरक्षा करने के लिए सरकारी सुरक्षा संगठन हैं, वहाँ आपूर्तिकर्ताओं को कार्य के समयों के दौरान घटित होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए चिकित्सा व्ययों का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

8. समुदाय

8.1. सभी OVS सप्लायरों को स्थानीय समुदाय और सामान्य रूप से अपनी गतिविधियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के ऑडिट की प्रक्रियाएं बनानी होंगी। (..) OVS के आपूर्तिकर्ताओं को उत्पादन स्थलों के आर्थिक विकास में सहयोग देते हुए स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के हमारे लक्ष्य को साझा करने का जिम्मेदार ठहराया जाता है। OVS के सभी आपूर्तिकर्ताओं और उनके कर्मचारियों को उन स्थानीय समुदायों द्वारा आयोजित परोपकार हेतु सामाजिक और वातावरणीय पहलों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनके साथ वे अपने सहयोग की पेशकश देते हुए आपसी व्यवहार करते हैं।

पर्यावरण

प्रचालन की प्रत्येक गतिविधि के प्रभावों पर लगातार निगरानी रखते हुए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि दैनिक काम के सभी पहलुओं में किसी व्यक्ति का व्यवहार वातावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालता है।
प्रक्रिया या उत्पादन की प्रत्येक गतिविधि में निम्नलिखित उद्देश्य अवश्य शामिल होने चाहिए:

a. नवीकरणीय या बंद चक्रीय संसाधनों और सामग्रियों के उपयोग का समर्थन करते हुए बहुत कम मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में तेजी से बढ़ती कुशलता लाना।

b. अपशिष्ट उत्पादन तथा लोगों या वातावरण को हानि पहुँचाने वाले रसायनों के उपयोग को न्यूनतम करना।

c. प्राकृतिक वातावरणों के संरक्षण और बहाली में योगदान देना।

1.

9. पर्यावरणीय प्रभाव

9.1. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को अपनी गतिविधियाँ चलाए जाने वाले देश में पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

9.2. कारखानों और संयंत्रों को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के अपने उपयोग पर निरंतर निगरानी अवश्य रखनी चाहिए, तथा नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की क्रमिक न्यूनता के लक्ष्य अवश्य निर्धारित करने चाहिए।

9.3. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को घटे हुए पर्यावरणीय प्रभाव, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की पद्धतियों को दर्शाने वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश अवश्य करना चाहिए, तथा उत्पाद के पुन:चक्रण, पुन:उपयोग तथा टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों और उत्पादन की प्रक्रियाओं पर काम करते हुए, OVS के साथ मिलकर उत्पादों के पर्यावरणीय-डिजाइन के सिद्धांत को बढ़ावा अवश्य देना चाहिए।

9.4. यदि ताप ऊर्जा का उत्पादन के लिए नई प्रणालियों को स्थापित करने की आवश्यकता पड़े तो, OVS सप्लायर जीवाश्म ईंधन (जैसे, बॉयलर, जनरेटर, आदि) द्वारा संचालित नए सिस्टम स्थापित नहीं कर सकते।

10. रसायन और खतरनाक पदार्थ

10.1. यदि कोई विकल्प उपलब्ध हो, तो उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोज्य सामग्रियों, रसायनों और विषैले या खतरनाक परिष्करणों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

10.2. रसायनों के डिब्बों को चेतावनी लेबल द्वारा अवश्य ही चिह्नित किया जाना चाहिए, तथा इसके साथ डेटा पत्रक और उपयोग हेतु स्पष्ट अनुदेश दिए जाने चाहिए। रसायनों के संभावित रूप से छलक जाने से बचाव करने, तथा किसी दुर्घटनात्मक क्षति की रोकथाम के लिए बाधाओं द्वारा सुरक्षा कर डिब्बों को अच्छी दशा में रखा जाना चाहिए। इन पदार्थों के उपयोग के लिए प्राधिकृत

व्यक्तियों को इनके उचित उपयोग के संबंध में समय-समय पर अवश्य ही प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

10.3. https://mrsl.roadmaptozero.com/mrsl/MRSL2_0 पर उपलब्ध ZDHC द्वारा प्रकाशित mRSL दस्तावेज़ में सूचीबद्ध रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बचना या उसे सीमित करना OVS के प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के एक परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम हर छः महीने में अपशिष्ट जल में ऐसे रसायनों की संभावित उपस्थिति का सत्यापन करना आवश्यक है। एक या अधिक प्रतिबंधित पदार्थों की उपस्थिति की पुष्टि होने पर, OVS द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ वैकल्पिक प्रक्रियाओं या रसायनों की पहचान करने के लिए काम किया जाता है।

11. अपशिष्ट प्रबंधन

11.1. अपशिष्ट की प्रोसेसिंग और निपटान से पर्यावरण कतई प्रभावित नहीं होना चाहिए, तथा जल, वायु, और मृदा प्रदूषण से बचाव किया जाना चाहिए। अपशिष्ट का प्रबंधन अवश्य जिम्मेदाराना तरीके से, तथा लागू कानूनों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। भण्डारण क्षेत्र अवश्य सुरक्षित तथा नियमित रूप से नियंत्रित होने चाहिए। अपशिष्ट का वर्गीकरण अवश्य पुन:चक्रण की संभावना के अनुसार किया जाना चाहिए।

11.2. खतरनाक अपशिष्ट का काम करने वाले कामगारों को उन दशाओं में डालना चाहिए जिससे वे खतरनाक अपशिष्ट से जुड़े जोखिमों को समझें, तथा इनके अनुचित प्रबंधन द्वारा होने वाली हानि से स्वयं की और वातावरण की रक्षा करें।

12. जल प्रबंधन

12.1. पानी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो दुर्लभ हो सकता है। OVS सप्लायरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल पानी के उपयोग में कमी सुनिश्चित करें, बल्कि पानी की ज़िम्मेदार खपत के साथ सभी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल देना की गारंटी दें। OVS सप्लायरों का लक्ष्य कारगर प्रणालियों और रखरखाव के साथ-साथ पानी के रीसाइकल के अवसर बनाना होना चाहिये।

12.2. उत्पादन की प्रक्रिया (रंगाई, धुलाई, परिष्करण) में उत्पन्न अपशिष्ट जल का परिष्करण प्रवाहित किए जाने से पहले अवश्य किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को हानि न पहुँचे।

12.3. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय कानूनों के अनुसार अपशिष्ट जल के प्रवाह पर निगरानी रखने की प्रणाली अवश्य रखनी चाहिए।

12.4. अपशिष्ट जल के परिष्करण संयंत्र के मौजूद होने की स्थिति में, वर्षा का जल केवल उसी चरण में प्रवाहित किया जा सकता है जो परिष्करण की प्रक्रिया में बाधा न डालता हो। इसके अलावा, कर्मचारियों से अपेक्षित है कि उन्हें स्थलीय परिष्करण प्रणाली के उचित परिचालन के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं, उपकरण और परीक्षणों की जानकारी हो।

13. वातावरण में उत्सर्जन

13.1. सभी उत्सर्जनों पर कानून और स्थानीय विनियमों के अनुसार निगरानी अवश्य रखी जानी चाहिए और पारदर्शी रूप में प्रबंधन किया जाना चाहिए।

13.2. OVS के आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक प्रकार के प्रदूषकों का मात्रा की पहचान करते हुए उत्सर्जन के सभी स्रोतों की लिखित, पूर्ण, सटीक और विश्वसनीय सूची तैयार करें।

13.3. उत्सर्जनों को वातावरण में छोड़ने से पहले प्रदूषकों को हटाने या छानने के लिए उत्सर्जन के स्रोतों को निगरानी के यंत्रों से अवश्य लैस किया जाना चाहिए।

14. राज्य क्षेत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव

14.1. भवनों का निर्माण या नवीकरण क्षेत्र और इसके निवासियों को हानि से बचाते हुए स्थानीय विनियमों और कानूनों के अनुसार स्थल के भीतर, चाहे ये प्राकृतिक हों या कृत्रिम, उनका उचित एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए।

14.2. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालने के हमारे लक्ष्य अवश्य साझा करने चाहिए। सभी आपूर्तिकर्ताओं को अपने सहयोग की पेशकश करते हुए स्थानीय समुदायों द्वारा आयोजित सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

15. अधिक संपोषणीय सामग्रियाँ

15.1. सामग्रियों (कच्चा माल, उपभोज्य वस्तुएं, कार्यालयीन सामग्रियाँ) का चुनाव करते समय आपूर्तिकर्ताओं को उन विकल्पों की खोज अवश्य करनी चाहिए जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं, तथा सुनिश्चित करते हैं कि इन सामग्रियों का उत्पादन इस आचार संहिता के सिद्धाँतों का पालन करते हुए किया जाए।

15.2. आपूर्तिकर्ताओं को पशुओं से बनी सामग्रियों के विकल्प का मूल्यांकन उनका दोहन न करने के विकल्पों का समर्थन करते हुए नीतिपरक दृष्टिकोण से अवश्य करना चाहिए। जहाँ पशुओं से बनी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, वहाँ केवल भोजन के उपयोग के इरादे से की जाने वाली

प्रोसेसिंग के स्रोत को अवश्य प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा पशुओं पर किए जाने वाले सभी प्रकार के अत्याचारों (जैसे जीते जी उनके पंख नोचना) को दूर किया जाना चाहिए।[7]

[7] ऊन के उत्तरदायी मानक, न्यूनता के उत्तरदायी मानक

अनुपालन और पारदर्शिता

सभी गतिविधियों के कार्य-निष्पादन के लिए विनियामक अनुपालन एक अनिवार्य अपेक्षा है।
OVS से जुड़ी सभी कंपनियों को उनकी अपनी गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों में लागू कानूनों और विनियमों का पूर्ण और कड़ा पालन अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। OVS के लिए कानून के शाब्दिक अर्थ और इसके भाव का पूर्ण अनुपालन करते हुए प्रचालन करना अनिवार्य है।
कंपनी के मूल्यों को निजी हितों से बढ़कर मानते हुए, हितों का टकराव उत्पन्न करने वाली सभी परिस्थितियों से बचा जाना चाहिए। जहाँ संभावित संघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न हों, वहाँ उनके बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
OVS के साथ किसी भी प्रकार से काम या सहयोग करने वालों से अपेक्षित है कि वे सही और ईमानदार तरीके से व्यवहार करें, कानून का पालन करें तथा अन्यों से हमारे मौलिक मूल्यों के पूर्ण सम्मान के साथ व्यवहार करें।

16. अनुपालन

16.1. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सभी गतिविधियाँ में उनके प्रचालन वाले देश के राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन होता हो; यदि इनमें उल्लिखित कोई प्रावधान आपूर्तिकर्ता के देश के राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत हैं, तो राष्ट्रीय कानून मान्य होंगे।

16.2. OVS के आपूर्तिकर्ताओं को सरकारी प्राधिकरणों और पर्यवेक्षी निकायों के साथ पारदर्शी और सहयोगी व्यवहार बनाए रखते हुए कर, सीमा-शुल्कों, निगम और नागरिक कानून के संबंध में कानून और इसके विनियमों के शाब्दिक अर्थ और इसके भाव का पूर्ण पालन अवश्य करना चाहिए। कर से बचने के लिए डिजाइन की गई निगमित संरचनाओं का उपयोग मना है।

17. भ्रष्टाचार

17.1. आपूर्तिकर्ता किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, जबरन वसूली या ग़बन न करने या सहन न करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे अपने व्यावसायिक साझेदारों को गैर-कानूनी प्रोत्साहन की पेशकश नहीं कर सकते हैं या उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। OVS के आपूर्तिकर्ताओं को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल में संदिग्धता असामान्यताओं या संभावित अवैध गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए आवश्यक साधन अवश्य उपलब्ध कराने चाहिए।

18. पारदर्शिता और सहयोग

18.1. आपूर्तिकर्ता प्रयुक्त कच्चे माल, प्रक्रियाओं, तथा व्यावसायिक कार्य-निष्पादन के संबंध में OVS के साथ सूचना साझा करने के लिए उत्तरदायी हैं। सामान्य लक्ष्य समस्त मूल्य शृंखला में हमारे उत्पादों के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कार्य-प्रदर्शन में सुधार करने के अवसरों की पहचान करने के समर्थ बनना है।

18.2. OVS के आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे पर्यावरणीय और सामाजिक संपोषणीयता की पद्धतियों में व्यवस्थित रूप से सुधार करने के लिए OVS के सहयोग से स्थापित सुधार की विशिष्ट योजनाओं को लागू करें और उन पर निगरानी रखें।

18.3. OVS आपूर्तिकर्ताओं को OVS को उस स्थान के सभी समय पर सूचित रखने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसमें हर उत्पाद को बनाया जाता है, पूर्व अनुमोदन के लिए उपठेकेदारों या होमवर्क के किसी भी उपयोग को प्रस्तुत करता है।

19. लेखा-परीक्षाएं

19.1. OVS को अपने माल का उत्पादन करने वाले किसी कारखाने, तथा अपने उप-ठेकेदारों या उप-आपूर्तिकर्ताओं के स्थलों पर किसी भी समय कोई नोटिस दिए बिना लेखा-परीक्षाएं कराने का अधिकार प्राप्त है। सभी ठेकागत प्रावधानों के साथ-साथ इस आचार संहिता का आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीधे या OVS द्वारा नियुक्त किसी तीसरे स्वतंत्र पक्षकार के माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है।

19.2. आपूर्तिकर्ता को OVS द्वारा नियुक्त किसी तीसरे स्वतंत्र पक्षकार को अपनी संबद्ध कंपनियों के साथ-साथ अपने उप-ठेकेदारों या उप-आपूर्तिकर्ताओं के परिसरों, सुविधा-केन्द्रों, उपकरण, दस्तावेजों, लेखा-बहियों और रिकॉर्डों तक निर्बाध पहुँच की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। अपनी निगरानी की गतिविधियाँ निष्पादित करने तथा लेखा-परीक्षा करने के उद्देश्यों से सभी संगत दस्तावेजों का रखरखाव करने का प्रभार प्राप्त, नियुक्त किसी तीसरे स्वतंत्र पक्षकार को समर्थ बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

19.3. यदि लेखा-परीक्षा के परिणाम पूर्ण अनुपालन दर्शाते हैं, तो लेखा-परीक्षा के खर्च OVS द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि परिणाम गैर-अनुपालन दर्शाते हैं, तो प्रत्येक अनुवर्ती लेखा-परीक्षा के खर्च सहमत सुधारात्मक योजनाओं के पूर्ण रूप से लागू किए जाने तक आपूर्तिकर्ता से वसूल किए जाएंगे।

20. संहिता का अनुप्रयोग

20.1. OVS को इस दस्तावेज की जानकारी का प्रसार अपने निजी आपूर्तिकर्ताओं के बीच अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता से अपेक्षित है कि वह इस संहिता का पालन करने वाले या अधिक सीमित मानदण्डों के अनुसार व्यवस्थित रूप से निगरानी रखते हुए अपने उप-ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के व्यवहार तथा सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए गारंटीकर्ता के रूप में काम करे।

20.2. यदि कोई आपूर्तिकरता संहिता के किसी तत्व का पालन नहीं करता है, तो इसकी रिपोर्ट ई-मेल द्वारा sustainability@ovs.it पर की जा सकती है। OVS संहिता के किसी भी उल्लंघन की सभी रिपोर्टों, स्थानीय NGOs सहित, को गंभीरता और पारदर्शिता से स्वीकार करने तथा पहचाने गए

उल्लंघनों के लिए यथा उपयुक्त प्रतिबंधों को सत्यापित करने और इन्हें लगाने के लिए वचनबद्ध है। प्राप्त सूचना के साथ-ही सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

20.3. इस संहिता में दिए सभी सिद्धांतों का सम्मान OVS के साथ व्यावसायिक संबंध और साझेदारी स्थापित करने और सुदृढ़ करने की मौलिक शर्त है। उपचारात्मक योजनाओं को स्थापित किए बिना संहिता में उल्लिखित सिद्धांतों के गैर-अनुपालन में, तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई, और, अंतत: OVS के साथ व्यावसायिक संबंध की समाप्ति और/या सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करना अंतर्निहित होगा।